आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020–21/1285 दिनांकः 20 नवम्बर, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विद्यार्थियों की ऑन लाईन फीस जमा करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की ऑन लाईन फीस जमा करवाने हेतु दिनांक 15 से 30 जून, 2020 तक एवं इस कार्यालय के पत्रांक 1006 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा दिनांक 15.07.2020 तक एवं पत्रांक 1107 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक अभिवृद्धि की गयी थी। तत्पश्चात् कोविड–19 के मद्दे नजर एवं विद्यार्थियों की मांग व विद्यार्थी हित में दिनांक 01 से 10 सितम्बर, 2020 तक ऑनलाईन फीस जमा करवाने हेतु अभिवृद्धि की गयी थी।

स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की ऑनलाईन फीस जमा करवाने हेतु दिनांक 15 जून 2020 से 10 सितम्बर, 2020 तक लगभग तीन माह की अवधि के उपरान्त भी छात्रों की मांग को देखते हुए दिनांक 23.11.2020 से 27.11.2020 तक 05 दिवस ऑनलाईन फीस जमा करवाने हेतु पोर्टल खोलते हुए समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि आयुक्तालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए फीस से वंचित रहे छात्रों से दूरभाष पर सम्पर्क कर फीस जमा कर सूचित करें। इसके पश्चात् प्रेषित प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जावेग?

भवदीय,
(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त सचिव (जेके) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2020 के कम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय साईट पर अपलोड करें।

20.11.20
(जी.के.सोनी)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

General Letter Admission